श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप सुनिये तो। आपको सुनने का भी धैर्य नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये, लेकिन मैं आपसे यह जरूर अर्ज करूंगा कि जो बात शांति से हो सकती हैं···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप बोलने नहीं देते तो शांति से कैसे हो सकती है ?

MR. SPEAKER : I very much resent this.

आज कल आप मोर्चे ओर्चे से ज्याद गरम हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह जो ट्रीटी है उसकी कापी मेम्बरों को दे दी जाये जितनी जल्दी वह मिल सकती हो। अध्यक्ष महोदय, अगर मैंने गुस्से में कोई ऐसी बात कही है जो आपको नागवार लगी है, तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, मगर खड़े होने के बाद ही आपने कैसे अन्दाजा लगा लिया कि मैं सवाल पूछना चाहता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : हर एक से गलती हो सकती है। मुझ से भी हो सकती है और आप से भी हो सकती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर कोई वक्तव्य यहां दिया जाय तो क्या उस पर चर्चा की मांग हम नहीं कर सकते ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी गलती मानता हूं। आपको नाराज नहीं करना चाहता हूँ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मगर आप इस तरह से रोकेंगे नहीं यह तो मानिये।

अध्यक्ष महोदय : यह तो पता नहीं कि मैं क्या करूंगा।

12·51 hrs.

CONSTITUTION (TWENTY-SIXTH AMENDMENT) BILL*

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. SPEAKER : The question is :

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRIMATI INDIRA GANDHI : I introduce the Constitution (Twenty-Sixt Amendment) Bill.

SHRI PILOO MODY (Godhra) : The Bill is not introduced.

MR. SPEAKER : The Bill is introduced. The Prime Minister has already introduced the Bill. Be sure about it, Mr. Mody.

SHRI PILOO MODY : This is the first time that a Bill must have been introduced in the House.

SHRIMATI INDIRA GANDHI : It is the first time that this Bill has been introduced.

*Published in Gazette of India Extraordinary Part II, Section 2, dated 9-8-71.